

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर -राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 91/2018

किस्म मुकदमा :

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 30.08.18

निर्णय दिनांक : 21.12.2018

सरकार जरिये पटवारी हल्का

बनाम

राजकुमार पुत्र सत्यनारायण

कुकनवाली

जाति ब्राह्मण नि. कुकनवाली

—: उनवान :-

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनुपरिथत प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कुकनवाली द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजकुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी कुकनवाली ने ग्राम कुकनवाली के खसरा नम्बर 658 कुल रकबा 1.53 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.0520 हैक्टर भूमि पर सम्वत 2075 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किये किया गया। नोटीस की प्रति गणेश बागडा ने प्राप्त की।


अप्रार्थी द्वारा जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे प्रार्थना - पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि हो सके एवं न ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमि घोषित किया जाता है तथा ग्राम कुकनवाली में आराजी राज खसरा नम्बर 658 कुल रकबा 1.53 हैक्टयर किरम गै.मु. रास्ता में रा.स्व. 0.0520 हैक्टर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बर्ताने अर्थ स्वरूप अप्रार्थी पर लगान 0.15 रु का पच्चास गुणा से राशि रु 0 10/- अक्षरें दस जुर्माना आरोपित किया जाता है।

पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थी को मोके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे। आरोपित शारीर की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(महावीर प्रसाद शर्मा)  
तहसीलदार कुवामन सिटी  
जिला नागौर --राजो

मांग कायमी रा.ले.स.-4

कि.पृष्ठ संख्या 29

वर्ष 18-19

रा.जुर्माना 10

क.निलाभी /

सोतर जुर्माना /

रा.जुर्माना /

62.9

तहसीलदार कुवामन सिटी